

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नियमन / नविप्र / रेकार्ड / 2014 / 1622

दिनांक : 2/9/2014

वास्ते :-

दी क्लासिक डवलपर्स, भागीदारी फर्म जरिये भागीदार :-

श्री अनिल मेहता पिता श्री जसवंतलाल जी मेहता

श्री मनन नाहर पिता श्री रविन्द्र नाहर

श्री गिरधारीलाल आगाल पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी आगाल

निवासी-79, न्यू पलोरा कॉम्प्लेक्स, भुवाणा, उदयपुर (राज.)

विषय - राजस्व ग्राम भुवाणा के खसरा नम्बर 825 से 830, 4642/813 के आवासीय प्रयोजनार्थ रुपांतरित भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 6240 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 05 क्षेत्रफल 5200 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 11440.00 वर्गफीट के संयुक्तिकरण एवं नामान्तरण बाबत।

प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम भुवाणा के खसरा नम्बर 825 से 830, 4642/813 के आवासीय प्रयोजनार्थ रुपांतरित भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 6240 वर्गफीट पट्टा संख्या 235 दिनांक 25.02.2013 एवं भूखण्ड संख्या 05 क्षेत्रफल 5200 वर्गफीट पट्टा संख्या 237 दिनांक 25.02.2013 से श्री अभिषेक लोधा पिता स्व. श्री अशोक कुमार लोधा एवं श्रीमती ए. सुशीला लोधा पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार लोधा के नाम न्यास आलेखों में दर्ज है। जिन्हें जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.07.2014 से कय किया गया जिसका नामान्तरण न्यास आलेखों में दर्ज नहीं कराया गया जिसका आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार अपने नाम संयुक्तिकरण एवं नामान्तरण चाहा गया है।

उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्या 04 क्षेत्रफल 6240 वर्गफीट एवं भूखण्ड संख्या 05 क्षेत्रफल 5200 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 11440.00 वर्गफीट का संयुक्तिकरण एवं नामान्तरण संलग्न मानचित्र अनुसार निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	संयुक्तिकरण भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)
1.	दी क्लासिक डवलपर्स, भागीदारी फर्म जरिये भागीदार :- श्री अनिल मेहता पिता श्री जसवंतलाल जी मेहता, श्री मनन नाहर पिता श्री रविन्द्र नाहर, श्री गिरधारीलाल आगाल पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी आगाल	4-5	11440.00

संलग्न मानचित्र इस संयुक्तिकरण एवं नामान्तरण पत्र का अभिन्न अंग रहेगा एवं उक्त संयुक्तिकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

1. संयुक्तिकरण भूखण्डों की लीज डीड पर लगायी गयी समस्त शर्तें यथावत रहेगी।
2. संयुक्तिकरण भूखण्डों के सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा न्यास द्वारा कोई शर्त लगाई जावेगी तो उसकी पालना करना अनिवार्य होगा।
3. संयुक्तिकरण भूखण्डों का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ही करना होगा। तथा निर्माण करते समय नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर स्वीकृति अनुसार समस्त शर्तें पूरी करते हुए ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
4. संयुक्तिकरण भूखण्डों पर आवासीय कारतामीर नियमानुसार न्यास द्वारा स्वीकृति अनुसार ही कराना होगा।
5. संयुक्तिकरण भूखण्ड के सम्बन्ध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप-विभाजन, पुर्नगठन एवं सुधार) नियम, 1975 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 19.02.2010 के अन्तर्गत पुर्नगठित भूखण्ड के तकनीकी मानदण्ड भवन विनियम 2011 की पालना करनी होगी।
6. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर स्वीकृत संयुक्तिकरण न्यास द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।



**PROPOSED RECONSTITUTION PLAN OF RESIDENTIAL PLOT
NO.- 4 & 5 KH. NO. 825 TO 830, 4642 / 813
REV. VILL.- BHUWANA, TEH.- BADGAON, UDAIPUR**

NAME OF APPLICANT :-

THE CLASSIC DEVELOPERS PARTNERSHIP FIRM AUTHORIZED DEVELOPER

1. ANIL MEHTA S/O JASWANT LAL JI MEHTA
69, SARVARTU VILAS, UDAIPUR

2. MANAN NAHAR S/O RAVINDRA JI NAHAR
79, FLOORA COMPLEX, BHUWANA, UDAIPUR

3. GIROHARI LAL AGAL S/O LI. KANHAIYA LAL JI AGAL
19, KRISHNA- VIHAR, ROOP SAGAR ROAD, UDAIPUR

PLOT NO.

SIG. OF APPLICANT

5-4

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

P.NO. PLOT SIZE
5 50' X 104'
4 60' X 104'
TOTAL

PLOT AREA
5200.00 SQ. FT.
6240.00 SQ. FT.
11440.00 SQ. FT.

RECONSTITUTION
PLOT NO. = 5-4

RECONSTITUTION
PLOT AREA = 11440.00 SQ. FT.



SCALE 1" = 100'-0"

SITE PLAN

(EXISTING RECONSTITUTION)



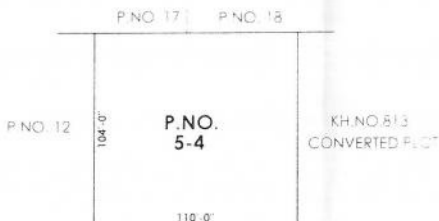
ROAD 60'-0" WIDE



SCALE 1" = 50'-0"

SITE PLAN

(AFTER RECONSTITUTION)



ROAD 60'-0" WIDE

नाप पट्टी स्वामित्व
से जांच की।

CHECKED BY *[Signature]*
प. न्याय

[Signature]
सतीश श्रीवाली
D.T.P.

[Signature]
भजन सिंह
परिचय प्रारूपकार

VERIFIED BY